प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर 2025

सीएजी का सीपीएसई पर सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत!

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) – 2025 की प्रतिवेदन संख्या 23 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य), शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें(अधिनियम, -की धारा 19 1971ए के अंतर्गत तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में छह अध्याय हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के वित्तीय निष्पादन का सारांश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की निगरानी भूमिका प्रस्तुत करने के अलावा, यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी विनियमों/दिशानिर्देशों के सीपीएसई द्वारा पालन की स्थिति, सीपीएसई की विनिवेश प्रक्रिया की स्थिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक मंत्रालयों एवं मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों के विश्लेषण का भी विवरण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

मार्च 31, तक 2023, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में सरकारी 501 थे। इनमें (सीपीएसई) केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 716 कंपनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और छह 209सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट सीपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है 655, जिसमें सरकारी 469 सरकार नियंत्रित अन्य 186 और (छह सांविधिक निगमों सहित) कंपनियाँ और निगम 23) सीपीएसई 61 कंपनियाँ शामिल हैं।सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित(, जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या पहले खाते देय नहीं थे/ प्राप्त नहीं हुए थे, इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

(पैरा 1.1.3)

केंद्र सरकार का निवेश

469 सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों से पता चलता है कि 31 मार्च, 2023 तक केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी में ₹9,24,770 करोड़ की इक्विटी होल्डिंग थी। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार द्वारा इन सीपीएसई को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों की बकाया राशि ₹2,24,233 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, 2022-23 के दौरान सीपीएसई की इक्विटी में केंद्र सरकार की होल्डिंग में ₹2,88,100 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई और बकाया दीर्घकालिक ऋणों में ₹50,849 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1)

बाजार पूंजीकरण

66 कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार 2022-23 के दौरान हुआ था, 31 मार्च, 2023 तक ₹17,28,067 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 तक 65 कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य ₹15,88,664 करोड़ था। 59 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) में केंद्र सरकार द्वारा रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2023 तक ₹10,03,886 करोड़ था।

(पैरा 1.2.4)

सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल

274 सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2022-23 के दौरान ₹2,54,239 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से 66.10 प्रतिशत (₹1,68,064 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों, अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत और कोयला एवं लिग्नाइट, के 76 सीपीएसई द्वारा किया गया। इन 274 सीपीएसई का रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 2022-23 में 13.74 प्रतिशत था, जबकि 2021-22 में 254 सीपीएसई का रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 15.57 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.1)

वर्ष 2022-23 के दौरान 181 सरकारी कंपनियों को घाटा हुआ। सरकारी कंपनियों और निगमों का घाटा 2021-22 में ₹31,347 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹45,250 करोड़ हो गया।

(पैरा 1.3.2)

133 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वर्ष 2022-23 के लिए ₹1,10,884 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्त होने वाला लाभांश ₹53,506

करोड़ था, जो सभी 469 सरकारी कंपनियों और निगमों की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश (₹9,24,770 करोड़) पर 5.79 प्रतिशत का रिटर्न दर्शाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत दस सरकारी कंपनियों ने ₹31,152 करोड़ का योगदान दिया, जो 133 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 28.09 प्रतिशत है।

(पैरा 1.3.4)

निवल मूल्य/संचित हानि

सभी 469 सरकारी कंपनियों और निगमों का निवल मूल्य ₹25,17,875 करोड़ था, जबकि उनकी चुकता पूंजी ₹11,48,276 करोड़ थी। 31 मार्च, 2023 तक 210 सरकारी कंपनियों की संचित हानि ₹2,21,421 करोड़ थी। इनमें से 79 कंपनियों का निवल मूल्य संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक इन कंपनियों का कुल निवल मूल्य ₹49,508 करोड़ तक नकारात्मक हो गया था।

(पैरा 1.3.3)

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

31 मार्च, 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 716 सीपीएसई (छह वैधानिक निगमों सहित) में से, वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण 584 सीपीएसई (407 सरकारी कंपनियाँ, 171 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और छह वैधानिक निगम) से प्राप्त हुए। सीएजी ने 359 सीपीएसई (छह वैधानिक निगमों सहित) के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

(पैरा 2.5.1)

आठ सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया तथा 62 सीपीएसई के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत करने से पहले अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया।

(पैरा 2.5.1.1)

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता और संपत्ति और देयता पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹7,297.28 करोड़ और ₹1,51,860.08 करोड़ था।

(पैरा 2.5.1.3)

III. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में 71 सीपीएसई को शामिल किया गया, जिनके शेयर/बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे और चार वैधानिक निगम (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय खाद्य निगम) सहित 36 सीपीएसई शामिल थे, जिनके केवल बॉन्ड/डिबेंचर 31 मार्च, 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे।

(पैरा 3.1.2)

वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान 3 सीपीएसई (चारप्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे और 46 सीपीएसई (65 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या बोर्ड में नहीं थी।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2.1)

वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान छह सीपीएसई (आठ प्रतिशत) के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थीं और 13 सीपीएसई (21 प्रतिशत) (शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं।

(पैरा 3.2.3)

वर्ष 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान तीन सीपीएसई (शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) में न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड पूरा नहीं किया गया।

(पैरा 3.2.4)

वर्ष 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था और चार सीपीएसई (छह प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति के न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। इसके अलावा, दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल नहीं हुए।

(पैरा *3.7.1.1, 3.7.1.2* और 3.8)

वर्ष 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान 2 सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था और चार सीपीएसई (छह प्रतिशत) में इसकी संरचना अपर्याप्त थी।

(पैरा 3.11.1)

IV. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने वर्ष 2022-23 के दौरान नौ मामलों में विनिवेश (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, बिक्री के लिए प्रस्ताव, शेयरों की पुनर्खरीद, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से प्रेषण और शत्रु शेयरों की बिक्री) के माध्यम से ₹35,294 करोड़ की राशि प्राप्त की। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिवेश आय के बजट अनुमान ₹65,000 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जिन्हें संशोधित अनुमान चरण में घटाकर ₹50,000 करोड़ कर दिया गया। वास्तविक प्राप्तियां ₹35,294 करोड़ थीं, जो संशोधित अनुमान का 70.58 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.4)

V. कॉर्पोरेट साामाजिक उत्तरदाायित्व

समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 76 सीपीएसई (13 महारत्न, 11 नवरत्न, 36 मिनीरत्न और 16 अन्य) को शामिल किया गया। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) और सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) को छोड़कर 74 सीपीएसई ने कंपनी अधिनियम,2013 के तहत आवश्यक सीएसआर समिति का गठन किया।

(पैरा 5.3.1)

2022-23 में 76 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹3,739.12 करोड़ खर्च किए गए। इनमें से, सीएसआर पर सबसे अधिक व्यय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई (14 सीपीएसई, ₹1,259.61 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद विद्युत मंत्रालय (10 सीपीएसई, ₹1,151.72 करोड़) और कोयला मंत्रालय (नौ सीपीएसई, ₹540.92 करोड़) का स्थान रहा। सबसे कम सीएसआर व्यय विमानन मंत्रालय (एक सीपीएसई, ₹4.09 करोड़) द्वारा किया गया।

(पैरा 5.4.2)

वर्ष 2022-23 के लिए, स्वास्थ्य और पोषण, सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए चुना गया कॉमन विषय था। समीक्षा किए गए 76 सीपीएसई में से, 36 सीपीएसई, कॉमन विषय पर 60 प्रतिशत सीएसआर व्यय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(पैरा 5.4.6)

34 सीपीएसई ने 3,381 परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे; 16 सीपीएसई ने 905 परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए; 16 सीपीएसई ने आधारभूत सर्वेक्षण के साथ 643 परियोजनाएं और आधारभूत सर्वेक्षण के बिना 241 परियोजनाएं शुरू कीं; और सात सीपीएसई ने कोई परियोजना शुरू नहीं की और तीन सीपीएसई ने आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

(पैरा 5.5.1)

कंपनी अधिनियम के अनुसार, सीपीएसई को सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने हेतु अपने परिचालन वाले स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी। 76 सीपीएसई में से, 59 ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया, जबकि 17 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया।

(पैरा 5.5.4)

VI. प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण

समीक्षा में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 11 मिनीरत्न सीपीएसई (68 मिनीरत्न सीपीएसई में से) और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हुए समझौता ज्ञापनों को शामिल किया गया। डीपीई दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में देरी हुई। वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापनों पर अंतिम तिमाही में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2022-23 के लिए, समझौता ज्ञापनों पर मुख्य रूप से वर्ष की तीसरी तिमाही में हस्ताक्षर किए गए।

(पैरा 6.3.1.1)

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के मामले में, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने के बावजूद, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म

पर कोई लेनदेन नहीं हुआ। हालाँकि, डीपीई द्वारा एमओयू मूल्यांकन रिपोर्ट में, आईआरईएल को पूरे पाँच अंक और हुडको को तीन अंक दिए गए।

(पैरा 6.3.2.1)

डीपीई द्वारा मेकॉन लिमिटेड के कुल एमओयू स्कोर से कोई अंक नहीं काटा गया, भले ही कंपनी ने 2021-22 और 2022-23 के लिए सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों और 2021-22 के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम का पालन नहीं किया।

(पैरा 6.3.3.1)

एनएचपीसी, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया, तथापि डीपीई द्वारा कोई अंक नहीं काटा गया।

(पैरा 6.3.3.2)

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एमओयू डैशबोर्ड पर प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट अपलोड करने और डीपीई द्वारा प्रदर्शन रेटिंग अपलोड करने के बीच समय अंतराल वर्ष 2021-22 के लिए 98 दिन तक और वर्ष 2022-23 के लिए 100 दिन तक था क्योंकि एमओयू दिशानिर्देश डीपीई द्वारा एमओयू प्रदर्शन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं।

(पैरा 6.3.3.5)